दैनिक जागरण 2
पटना, 23 सितंबर 2019

जमीन बेच फ्लैट के लिए एडवांस देने वालों का पैसा वापस करेगी अग्रणी

रेरा का आदेश

- अग्रणी ग्रुप को पाटलिपुत्र की बीस कट्ठा जमीन बेच पैसा वापस करने का आदेश
- अग्रणी के दर्जनों प्रोजेक्ट में लोगों ने करोड़ों रुपये देकर कराई थी बुकिंग

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी ऑथरिटी (रेरा) ने अग्रणी ग्रुप ऑफ कंपनी को आदेश दिया है कि वह पाटलिपुत्र स्थित कंपनी की जमीन में से बीस कट्ठा बेचकर फ्लैट खरीदने के लिए एडवांस देने वालों के रुपये वापस करे। फ्लैट खरीदारों ने अग्रणी ग्रुप से फ्लैट खरीदने के लिए कंपनी को अग्रिम के रूप में करोड़ों रुपये दिए थे।

फ्लैट खरीदारों से अग्रणी ग्रुप ने पटना और इसके आसपास बनने वाले फ्लैट के लिए यह अग्रिम प्राप्त किया था। अधिकांश राशि 2012 के दौरान अलग-अलग अपार्टमेंट निर्माण के नाम पर प्राप्त की गई। सात वर्ष बीतने के बाद भी उस वक्त घोषित अधिकांश प्रोजेक्ट या तो शुरू नहीं हो पाए या फिर पिलर से अधिक का निर्माण नहीं किया गया। इसके बाद फ्लैट खरीदार लगातर अपनी राशि प्राप्त करने के लिए कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं।

2018 में रेरा के अस्तित्व में आने के बाद बड़ी संख्या में फ्लैट के खरीदारों ने एडवांस देने और फ्लैट न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं की मांग थी कि रेरा अग्रणी ग्रुप से उनके पैसे वापस करा दे। शिकायतों के आधार पर रेरा ने कई सुनवाई में उपभोक्ताओं के पक्ष में कई फैसले सुनाए। फैसले में कंपनी को निर्देश दिए गए कि वह उन लोगों का बुकिंग एडवांस वापस करे। निर्देश के बाद कई लोगों को कंपनी ने उनके प्रिंसिपल एडवांस की रकम वापस की, परन्तु सैकड़ों लोग आज भी रकम वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते रेरा ने अग्रणी के बैंक खातों से राशि निकासी पर रोक लगा दी। साथ ही कंपनी के निदेशक बोर्ड से कहा गया कि वह बताए कि लोगों की रकम वापसी के लिए उसके पास क्या कार्ययोजना है? इसके बाद कंपनी की ओर से रेरा को जानकारी दी गई है कि कंपनी ने तय किया है कि वह पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अपनी जमीन बेचकर लोगों से लिया गया एडवांस वापस करेगी।

बता दें कि अग्रणी द्वारा संपतचक, पावर ग्रिड नगर, आइओबी नगर, सुरंजन सुमन, मौर्या प्लेस, अग्रणी उर्मिला, अग्रणी आइडिया समेत दूसरे प्रोजेक्ट शुरू करने का दावा था, परन्तु इनमें से कुछ के निर्माण प्रारंभ ही नहीं हुए और कुछ के निर्माण अधूरे ही रह गए। कंपनी की ओर से बकायेदारों को जो चेक दिए गए, वह भी बाउंस हो गए थे।